अध्याय XXV

दिल्ली

प्रशासनिक रूपरेखा

1993 से पहले दिल्ली में सीमित शक्तियों वाली एक महानगर परिषद थी और उसकी सीमाओं के अन्दर काम करने वाले बहुत से अन्य प्राधिकरण थे। पहली दिसम्बर, 1993 को दिल्ली के लिए एक विधान सभा और उसकी एक अपनी समेकित निधि की व्यवस्था की गई। दिसम्बर 2, 1993 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि-परिषद का गठन किया गया, जिसका काम उप-राज्यपाल को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए सलाह और सहायता देना था। विधान सभा को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़ कर, राज्य-सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के बारे में, जहां तक ऐसा कोई मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता हो, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये तीनों विषय आरक्षित विषयों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पास रखे गए हैं और उनका सीधा प्रशासन उप-राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अलावा, तीन स्थानीय निकाय हैं, अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो भारत सरकार के शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालाय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत सरकार भी दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

25.2 डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का, जो विकास कार्यों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में है, पहली जनवरी, 1997 को विकेन्द्रीकरण किया गया और लोगों की सहूलियत के लिये उप-रजिस्ट्रारों के 9 कार्यालयों सहित 9 जिले और 27 तहसीलें बनाई गई। सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और निष्क्रियता, आदि के बारे में लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक लोक शिकायत आयोग गठित किया गया है। सभी विभागों को नागरिकों का चार्टर तैयार करने और कम्प्यूटरीकृत सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने की हिदायतें दी गई हैं।

भौगोलिक रूपरेखा

25.3 दिल्ली का, जो भारत संघ की राष्ट्रीय राजधानी है, भौगोलिक क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है और लम्बाई तथा चौड़ाई क्रमशः 51.90 किलोमीटर और 48.48 किलोमीटर है। 1483 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से 685.34 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है और 797.34 वर्ग किलोमीटर देहाती क्षेत्र है। दिल्ली की सीमाओं के भीतर 209 गांव हैं।

जनांकिकीय रूपरेखा

25.4 दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1981 में इसकी आबादी 62.20 लाख थी, जो बढ़ कर 1991 में 94.21 लाख हो गई अर्थात एक दशक में 51.46 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वृद्धि में स्वाभाविक संवृद्धि और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी शामिल है। अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 2 लाख व्यक्ति दिल्ली में आते हैं और स्थाई रूप से यहां बस जाते है और इस शहर की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में योगदान करते हैं। दिल्ली का शहरी क्षेत्र इसके कुल क्षेत्र के 47.2

प्रतिशत के बराबर है और दिल्ली की लगभग 90 प्रतिशत आबादी यहीं रहती है 1991 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

25.5 दिल्ली में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार यह 11.22 लाख थी, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या के 18.03 प्रतिशत के बराबर थी। तब के बाद बढ़ कर यह 1991 में 17.95 लाख हो गई; जो कुल जनसंख्या के 19.05 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में जो असाधारण वृद्धि हुई है, उसका कारण स्वाभाविक संवृद्धि के अलावा, बड़े पैमाने पर अप्रवास होना बताया जाता है।

25.6 दिल्ली में किसी जाति की गणना अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं की गई, क्योंकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया। दरअसल, दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग रहते हैं, जो केन्द्रीय मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजन के सिलसिले में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली में आए हैं। इस प्रकार की श्रेणियों के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में, विशेष रूप से भवन-निर्माण उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से भी दिल्ली आते हैं।

साक्षरता की स्थिति

25.7 1991 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता के क्षेत्र में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली का स्थान पांचवा है। दिल्ली में साक्षरता की दर 75.29 प्रतिशत है। पुरूषों के मामले में यह 82.01 प्रतिशत और महिलाओं में 66.99 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, अनुसूचित जातियों की साक्षरता-दर 57.60 प्रतिशत है; पुरूषों की 68.77 प्रतिशत और महिलाओं की 43.83 प्रतिशत।

आर्थिक विकास

25.8 छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय से, विशेष संघटक योजना की कार्यनीति के जरिए अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की गई है। इस कार्यनीति के अनुसार सभी विभाज्य क्षेत्रकों में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार, परिव्यय अलग से निर्धारित किए जाते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने भी अपनी वार्षिक योजना की तैयारी के भाग के रूप में विशेष संघटक योजना तैयार की है। विशेष संघटक योजना तैयार करते समय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार को विभिन्न क्षेत्रकों और केन्द्र-प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित परिव्ययों विशेष केन्द्रीय सहायता(विशेष संघटक योजना के लिए), अनुसूचित जाति विकास निगम को उपलब्ध कराई गई धनराशि, और अनुसूचित जातियो के लाभभोगियों को अपनी आय बढ़ाने और गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के वास्ते बैंक ऋणों के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले संस्थात्मक वित्त को हिसाब में लेना होता है।

विशेष संघटक योजना

25.9 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार, विशेष संघटक योजना का परिव्यय कम से कम राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने इन मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के 15,54,128.00 लाख रूपए के कुल अनुमोदित परिव्यय की तुलना में विशेष संघटक योजना के लिए 1,07,632.05 लाख रूपए का परिव्यय रखा गया है, जो कुल अनुमोदित परिव्यय के 6.93 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय और विशेष संघटक योजना का आकार इस प्रकार है:-

(लाख रूपए)

योजना	अनुमोदित परिव्यय	विशेष संघटक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय	प्रतिशतता
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	15,54,128.00	1,07,632.05	6.93
वार्षिक योजना (1997-98)	2,33,173.00	20,501,03	8.79
वार्षिक योजना (1998-99)	2,68,116.00	21,144.98	7.89

25.10 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 5(1)/98-99/एस.सी.पी.1208 द्वारा आयोग को यह सूचित किया है कि " हम विशेष संघटक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन करते रहे हैं, लेकिन कतिपय मजबूरियों के कारण, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है, विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के लिए नियम की जाने वाली राशियां राज्य योजना के लिए नियम की गई कुल राशि के 19 प्रतिशत के बराबर नहीं पहुंच सकी हैं, जो कि दिल्ली की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता है।

25.11 अन्य राज्यो में एस.सी.पी. की स्कीमें " कृषि और संबद्ध सेवाएं " क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं, लेकिन दिल्ली में तेजी से हो रहे शहरीकरण और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए भूमि के अभिग्रहण के कारण "कृषि" अब एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नहीं रहा है। परिणामतः, पशुपालन, मछलीपान और मक्खी-पालन जैसे इसके उप-क्षेत्रकों के क्रियाकलापों का दायरा भी बड़ा सीमित है, जिसके फलस्वरूप इस समूचे क्षेत्रक के लिए और इसके परिणामस्वरूप एस.सी.पी. के लिए भी परिव्यय बहुत कम होता है।

25.12 भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, आदि जो मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए हैं और जो अन्य राज्यों में भारी परिव्यय से कार्यान्वित किए जा रहे हैं, दिल्ली में कार्यान्वित नहीं किए जा रहे और इसलिए विशेष संघटक योजना का परिव्यय कम है।

25.13 शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, विद्युत, जल-पूर्ति, आदि जैसे क्षेत्रकों के लिए निर्धारित परिव्यय को विशेष संघटक योजना के परिव्यय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन

क्षेत्रकों की सेवाओं को सामान्य जनता और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सांझा समझा जाता है।

विशेष संघटक योजना के लिए नियत राशि और किया गया व्यय

25.14 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने 1993-94 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान राज्य योजना परिव्यय, विशेष संघटक योजना के लिए दी गई राशियों और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च के आंकड़े भेजे हैं, जो नीचे की सारणी में दिए गए हैं;

(लाख रूपए)

वर्ष	कुल राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. के लिए सम्मत परिव्यय	कुल योजना परिव्यय की तुलना में एस.सी.पी. के परिव्यय की प्रतिशतता	एस.सी.पी. के अन्तर्गत हुआ व्यय	एस.सी.पी. के अन्तर्गत व्यय की प्रतिशतता
1993-9	1,07,500	9,575.05	8.90	8,159.62	85.22
1994-9	1,56,00	14,031.42	9.00	8,443.53	60.18
1995-9	1,72,000	14,979.50	8.71	10,945.47	73.07
1996-9	2,09,000	18,522.58	8.86	16,420.90	88.65
1997-9	2,33,173	20,501.03	8.79	16,823.50	99.90
1998-9	2,68,116	21,144.98	7.89		

25.15 ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य योजना से विशेष संघटक योजना को दी गई राशियों की प्रतिशतता 8 और 9 प्रतिशत के बीच रही है और 1998-99 में यह और घट कर 7.89 प्रतिशत रह गई है, जो गम्भीर चिंता का विषय है। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम नौवीं योजना के शेष वर्षों में राज्य योजना से विशेष संघटक योजना को दी जाने वाली राशि 19.05 प्रतिशत से कम न हो, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता है। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि 1993-94 से 1996-97 तक के किसी एक वर्ष के दौरान भी आवंटित राशियों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार एक ओर तो धनराशियों का नियतन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार नहीं कर रही है, और दूसरी ओर जो राशियां नियम की जाती हैं उनका भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 1997-98 में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत क्षेत्रकीय आवंटन और व्यय

क्रम संख्या	क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक/स्कीम	1997-98 के दौरान आवंटन		व्यय 1997-98 के दौरान	
		कुल राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. के लिए राशि	कुल योजना	एस.सी.पी
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	2730.00	55.49	1155.97	39.38
2.	ग्राम विकास	9893.00	90.00	7970.57	20.80
3.	सहकारिता	200.00	63.31	68.76	61.83
4.	ऊर्जा	39900.00	33.50	29971.55	54.57
5.	उद्योग और खनिज	1000.00	85.05	776.93	97.45
6.	शिक्षा	14727	2783.34	14128.76	1786.31
7.	तकनीकी शिक्षा	4500.00	44.50	4677.26	41.42
8.	चिकित्सा	15017.00	1220.00	11649.39	1288.07
9.	जल पूर्ति और सफाई	30840.00	150.00	27866.15	107.81
10.	आवास	3300.00	714.50	2321.53	209.87
11.	शहरी विकास	38778.00	12193.14	33785.04	11911.10
12.	अनु. जा./ अनु.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1950.00	1925.00	446.24	577.12
13.	श्रमिक और श्रमिक कल्याण	685.00	7.50	483.38	8.91
14.	पोषाहार	2920.00	1086.50	2025.21	603.26
15.	खेल-कूद और युवा सेवाएं	1400.00	33.00	310.05	12.13
16.	कला और संस्कृति	685.00	16.20	657.21	3.46
	उप-जोड़	**168525.00**	**20501.03**	**138294.00**	**16823.50**

25.16 धनराशियों के स्थूल क्षेत्रक-वार आवंटन के विश्लेषण से पता चलता है कि विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि के प्रवाह की सर्वोच्च प्रतिशतता पोषाहार (37.20) के क्षेत्रक में थी; उसके बाद सहकारिता (31.65) और शहरी विकास (31.44) का स्थान आता है। अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के क्षेत्रक में यह 98.71 प्रतिशत था। ग्रामीण विकास (0.90), ऊर्जा (0.08), तकनीकी शिक्षा (0.98), जल पूर्ति और सफाई (0.48) के क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन बहुत कम था। जहां तक वास्तविक व्यय की प्रतिशतता का संबंध है, सबसे ऊंची प्रतिशतता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के क्षेत्रक (129.32) में थी; इसके बाद सहकारिता (89.92) और पोषाहार (29.78) का स्थान आता है। ग्रामीण विकास (0.26), ऊर्जा (0.18), तकनीकी शिक्षा (0.88), चिकित्सा (0.38) और कला और संस्कृति (0.52) के क्षेत्रों में व्यय की प्रतिशतता बहुत कम थी।

25.17 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारणों की सूचना दी है, जो इस प्रकार है-

> " मुख्य कारण यह था कि प्रत्येक क्षेत्रक में समूचे रूप से और विशेष संघटक योजना के अंश वाली स्कीमों के अन्तर्गत भी कुल योजना व्यय मूल अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कम हुआ था। इस कमी के कई कारण बताए जा सकते हैं, जैसे ऐसी नई स्कीमों को शामिल किया जाना, जिनके लिए भारत सरकार/दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ मामलों में, जिनमें पूंजीगत निर्माण-कार्य शामिल थे, कार्यान्वयन एजेंसी या तो उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं कर सकी अथवा वह भूमि अधिक्रमित थी, अथवा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण- जैसे स्थानीय निकायों का अनुमोदन उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, कुछ मामलों में जनशक्ति की कमी के कारण भी व्यय धीमी गति से हुआ। कुछ मामलों में योजना/वित्त विभाग से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण भी व्यय की गति धीमी रही। चूंकि अनुमोदित परिव्यय की तुलना में व्यय समूचे रूप में कम हुआ, इसलिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की समूची योजना के भाग के रूप में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यय कम होने के भी यही कारण हैं। "

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

25.18 विशेष केन्द्रीय सहायता की धारणा विशेष संघटक योजना के लिए एक अतिरिक्त राशि के रूप में की गई थी, ताकि अनुसूचित जातियों के परिवार गरीबी की रेखा को पार कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका इस्तेमाल अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि अनुसूचित जातियों के लोग अपने सीमित संसाधनों से अपनी उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि कर सकें। भारत सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार यह जरूरी है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल आय का सृजन करने/आर्थिक विकास की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए किया जाए, लेकिन बाद में अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलापों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया। नीचे के विवरण में गत वर्षों में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की जानकारी दी गई है:-

(लाख रूपए)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए निर्धारित कुल विशेष केन्द्रीय सहायता	रिलीज की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता में से किया गया व्यय
1993-94	184.76	60.48	116.94
1994-95	244.42	244.42	206.84
1995-96	231.16	202.33	152.77
1996-97	190.42	100.02	135.14
1997-98	135.43	78.40	91.62
1998-99	201.71	165.96	नहीं

25.19 भारत सरकार ने 1993-94 से 1998-99 तक रिलीज किए जाने के लिए 987.19 लाख रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित की थी, जिसकी तुलना में भारत सरकार ने 685.65 लाख रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता दी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को मंत्रालय से पता लगाना चाहिए कि कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन होने की संभावना है और अपनी वार्षिक योजना में केवल पुष्ट आंकड़ों को ही शामिल करना चाहिए। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि 1993-94 से 1997-98 तक के दौरान उसे रिलीज की गई राशि में से 703.71 लाख रूपए की राशि इस्तेमाल की गई। यद्यपि इस्तेमाल की गई राशि, रिलीज की गई राशि से अधिक है, लेकिन अतिरिक्त व्यय के कारणों और विशेष केन्द्रीय सहायता से किए गए व्यय की मदों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की गई स्कीमें और 1997-98 में प्राप्त उपलब्धियां

25.20 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता की मदद से कुछ स्कीमें कार्यान्वित की हैं। इनका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	आवंटन (लाख रूपए)	व्यय (लाख रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
डी.एस.सी.एफ.डी.सी. लिमिटेड						
1.	अनु. जाति के लोगों की आर्थिक उन्नति	-	-	2200	765	34.7
2.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षणों	-	-	500	500	100.00
3.	अन्य विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण	-	-	200	271	135.50
4.	एस.टी.ए. बसों के लिए ब्याज सब्सिडी	76.90	90.40	43	39	90.69
5.	टी.एस.आर. सब्सिडी	-	-	200	30	15.00
6.	एल.सी.वी. और बसों के लिए सब्सिडी	-	-	नहीं	20	-
प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा निदेशालय						
1.	स्व-रोजगार के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए अनु.जा. के श्रमिकों को प्रशिक्षण	1.50	1.22	नहीं	नहीं	नहीं

25.21 इन स्कीमों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के 2200 लोगों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य की तुलना में, वास्तव में केवल 765 (36.77प्रतिशत) लोगों को लाभ पहुंचा। इसी प्रकार, टी.एस.आर. सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 200 व्यक्तियों को कवर करने का प्रस्ताव था, लेकिन वास्तविक लाभभोगी केवल 30 (15.00 प्रतिशत) व्यक्ति थे। कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुतः केवल 500 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। अन्य व्यवसायों के प्रशिक्षण की स्कीम के अन्तर्गत 200 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में, 271 व्यक्तियों (135.50 प्रतिशत) को लाभ पहुंचाया गया। एस.टी.ए. बसों के लिए ब्याज सब्सिडी के मामले में भी कमी रही। वर्ष 1997-98 के लिए 43 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक लाभभोगियों की संख्या 39 (90.69 प्रतिशत) थी।

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड

25.22 दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने 29 जनवरी, 1983 से काम करना शुरू किया। निगम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों के आर्थिक विकास के लिए संस्थात्मक ऋण जुटाने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है। निगम निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) सामान्य ऋण स्कीमें

(ii) मैला उठाने वाले व्यक्तियों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने की राष्ट्रीय स्कीम

(iii) परिवहन ऋण स्कीम

(iv) उच्च अध्ययन के लिए ब्याज-मुक्त ऋण

(v) एन.एस.एफ.डी.सी. के माध्यम से स्व-रोजगार स्कीम

25.23 निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन भी करता रहा है:

(क) कृषि और संबद्ध सेवाएं

(ख) उद्योग क्षेत्रक के क्रियाकलाप

(ग) व्यापार क्षेत्रक के क्रियाकलाप

(घ) सेवा क्षेत्रक के क्रियाकलाप

25.24 वर्ष 1997-98 और 1998-99 में निगम के स्कीम-वार वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी **अनुबंध-1** में दी गई है।

25.25 वर्ष 1997-98 में डी.एस.एफ.डी.सी. लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का वित्तीय परिव्यय 1324.00 लाख रूपए का था। यह बढ़ कर 1998-99 में 1507.00 लाख रूपए हो गया। वर्ष 1997-98 में व्यय परिव्यय के 17.66 प्रतिशत से कम व्यय हुआ, जो 1998-99 में बहुत कम अर्थात केवल 2.79 प्रतिशत हुआ। ये स्कीमें अनुसूचित जातियों के लोगों को स्व-रोजगार के लिए, टी.एस.आर. की खरीद, मैला ढोने वाले लोगों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास, कम्प्युटरीकृत फुटवीयर डिज़ाइनिंग केन्द्र की स्थापना, सूखे शौचालयों को जल वाले शौचालयों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता देने

के लिए हैं। अन्य स्कीमों के भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए गए। कोई आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिए, कौशल और उद्यम चलाने की योग्यता होना बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। वर्ष 1998-99 में स्व-रोजगार स्कीम के अन्तर्गत 700 व्यक्तियों का प्रशिक्षण देने का भौतिक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

शैक्षणिक विकास

25.26 किसी समाज की प्रगति को मापने का एक मापदंड है, उसके सदस्यों की शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रसार करने के सुनियोजित प्रयास किए हैं, लेकिन अन्य बातों, जैसे गरीबी अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण के उपलब्ध न होने, और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि के अत्यल्प होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा का स्तर वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने नौवीं योजना तैयार करने के लिए जो कार्यदल गठित किया था, उसने शिक्षा के उप-क्षेत्रक के लिए ये सिफारिशें दी हैं-

(i) लेखन-सामग्री और पुस्तकों के लिए 10 रूपए या 15 रूपए की जो राशि दी जाती है, वह बहुत कम है। उसे बढ़ाकर आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 30 रूपए मासिक और नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 50 रूपए मासिक कर दिया जाना चाहिए।

(ii) कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 300 रूपए और 400 रूपए प्रति वर्ष की योग्यता छात्रवृत्तियों की राशि को बढ़ा कर क्रमशः 500/- रूपए और 600/- रूपए कर दिया जाना चाहिए।

(iii) सामान्य छात्रवृत्ति की मौजूदा दर में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मौजूदा दरें और सिफारिश की गई दरें इस प्रकार हैः-

अध्ययन पाठ्यक्रम	छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी		आवासी विद्यार्थी	
	मौजूदा दर	सिफारिश की गई दर	मौजूदा दर	सिफारिश की गई दर
स्नातक स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम	635	900	285	400
स्नातकोत्तर तकनीकी पाठ्यक्रम	735	1000	385	500
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	435	650	285	400
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	435	650	285	400
निम्नलिखित स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम				
(i) स्नातक स्तर	385	500	180	300
(ii) स्नातकोत्तर स्तर	535	700	300	500

(iv) अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण का उपलब्ध होना, शिक्षा की एक पूर्व-आवश्यकता है। इसलिए नौ जिलों में से प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग छात्रावास होना चाहिए।

(v) प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आई.टी.एस. और पॉलिटेकनीक संस्थानों में "पुस्तक बैंक" की स्कीम शुरू करनी चाहिए, ताकि इन संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की पुस्तकें मिल सकें।

(vi) चूंकि उच्च तकनीकी शिक्षा बहुत महंगी है, इसलिए दो विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुस्तकों के सेट के लिए 7500/- रूपए की सीमा कुछ कम है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए इस राशि की सीमा बढ़ा कर 15,000/- रूपए प्रति वर्ष कर दी जानी चाहिए।

(vii) दिल्ली सरकार द्वारा जो परीक्षा-पूर्व शिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है उसे अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य सेवाओं, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., डी.ए.एन.आई.सी.एस., इंजीनियरी और मेडिकल सेवाओं आदि के लिए तैयार करने के लिए शिक्षण देने का काम हाथ में लेना चाहिए।

(viii) शिक्षा के क्षेत्रक के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही स्कीमों का मानीटरिंग सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कीमों का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे और इनकी राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए न किया जाए।

25.27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यदल की सिफारिशों का समर्थन करता है और उसकी राय है कि इन सिफारिशों को कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

25.28 वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 329.50 लाख रूपए का था, लेकिन केवल 142.93 लाख रूपए व्यय किए गए। इसी प्रकार, 1998-99 का अनुमोदित परिव्यय 440.00 लाख रूपए का था, किन्तु केवल 397.00 लाख रूपए का व्यय होना प्रत्याशित था। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को व्यय कम होने के कारणों की जांच करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए नियम की गई पूरी राशि का उपयोग करने के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिएं।

25.29 दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास की स्कीमें बहुत से अभिकरणों, जैसे शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण और तकनीकी निदेशालय, दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अन्दर इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और इनका मानीटरिंग करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि विभिन्न अभिकरणों के बीच उपयुक्त समन्वय सुनिश्चित करने और शिक्षा क्षेत्रक के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त स्तर पर कम - से - कम तिमाही बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

सामाजिक विकास

25.30 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य वाले कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

I गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अन्तर्गत गरीब विधवाओं को 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी कर सकें। वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 15.00 लाख रूपए का था, लेकिन वास्तविक व्यय 20.00 लाख रूपए हुआ, जबकि 1998-99 में अनुमोदित परिव्यय 25.00 लाख रूपए का था और प्रत्याशित व्यय 30.00 लाख रूपए था।

II अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता

अनाथ लड़कियों की शादी करने के लिए, अनाथालयों के संरक्षकों, अनाथ लड़कियों के अभिभावकों अथवा स्वयं अनाथ लड़कियों को 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 1.00 लाख रूपए का था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 1998-99 में 3.00 लाख रूपए के अनुमोदित परिव्यय में से केवल 1.00 लाख रूपए का उपयोग किया गया।

III अनुसूचित जातियों के आर्थिक रूप सें कमजोर माता पिता को कन्या शिशु के जन्म पर वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अन्तर्गत माता-पिता को कन्या शिशु का पालन-पोषण करने और उसे उपयुक्त शिक्षा दिलाने में मदद करने के लिए 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि समाज की संतुलित संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 827 है; और लड़कियों की शादी में पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने वर्ष 1997-98 में कोई खर्च नहीं किया, हालांकि 5.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित था। वर्ष 1998-99 में 5.00 लाख रूपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में केवल 1.00 लाख रूपए इस्तेमाल किया गया।

IV अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन पुरस्कार

यह स्कीम अन्तर्जातीय विवाहों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के साथ विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अन्तर्गत तैयार की गई थी यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने इस स्कीम को छोड़ने का फैसला किया है, हालांकि इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की स्वीकृति दे दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग पुरज़ोर सिफारिश करता है कि इस स्कीम का व्यापक रूप से प्रचार करके इसे फिर से लागू किया जाए।

V अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को दुग्धपान और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता ।

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नवजात शिशुओं की उन माताओं के पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जो प्रसव के बाद सन्तुलित आहार प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस सहायता का उद्देश्य दुग्धपान की समूची अवधि में दुग्धपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार मुहैया कराना है। सहायता की राशि 500/- रूपए की होती है। वर्ष 1997-98 में दुग्धपान कराने वाली 3000 माताओं के लाभ के लिए 15.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 10.00 लाख रूपए की राशि विमोचित की गई थी और दुग्धपान और स्तनपान कराने वाली 2000 माताओं को लाभ पहुंचाया गया था। वर्ष 1998-99 में भी 3000 माताओं के लाभ के लिए 15.00 लाख रूपए अनुमोदित किया गया था, लेकिन 2000 माताओं के लाभ के लिए 10.00 लाख रूपए का व्यय होने की प्रत्याशा थी।

VI सूखे शौचालयों को बदलना

वर्ष 1991-92 में भारत सरकार ने मैला ढोने वाले व्यक्तियों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की एक स्कीम शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की एक विशिष्ट जाति द्वारा मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना था। यह स्कीम दिल्ली में 1994-95 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सभी सूखे शौचालयों को जल वाले शौचालयों में बदलना था। इस स्कीम के अन्तर्गत वैयक्तिक लाभभोगी को सब्सिडी के रूपए में 3500/- रूपए की सहायता दी जाती है। यह स्कीम दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दिल्ली में लगभग 1.39 लाख सूखे शौचालय है, जिनमें से अधिकतर पूर्वी दिल्ली और अनाधिकृत बस्तियों में स्थित हैं। नवम्बर, 1995 में दिल्ली नगर निगम को 3.00 करोड़ रूपए की राशि रिलीज की गई थी, लेकिन एक भी शौचालय को बदला नहीं गया।

वर्ष 199-98 में 11,000 सूखे शौचालयों को बदलने के लिए 400.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने एक भी सूखे शौचालय को नहीं बदला है। वर्ष 1998-99 में 11,000 शौचालयों को बदलने के लिए 500.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस बारे में प्राप्त उपलब्धि की सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित न करने के लिए दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जांच की जाएं और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को बिना किसी और विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए।

VII ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आवास सब्सिडी।

इस स्कीम में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मकान बनाने में सहायता देना है। मकान बनाने की 20,000/- रूपए की कुल लागत में, प्रति लाभभोगी को 10,000/- रूपए की सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता दो किस्तों में रिलीज की जाती है। वर्ष 1997-98 में 20 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए 2.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस 2.00 लाख रूपए में

से केवल 4 व्यक्तियों को प्रथम किस्त के रूप में 0.20 लाख रूपए का संवितरण किया गया था। वर्ष 1998-99 में 30 व्यक्तियों के लाभ के लिए 3.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। लाभभोगियों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई है।

VIII शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवास सब्सिडी

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में अपने मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है। 22.5 वर्ग गज़ अथवा उससे अधिक के भू-खंड पर मकान के निर्माण के लिए 10,000/- रूपए की सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता समान राशि की दो किस्तों में रिलीज़ की जाती है। वर्ष 1997-98 में 30 व्यक्तियों के लाभ के लिए 3.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस 3.00 लाख रूपए में से 4 व्यक्तियों को पहली किस्त के रूप में केवल 0.20 लाख रूपए दिया गया। वर्ष 1998-99 में 40 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 4.00 लाख रूपए रखा गया है किन्तु वास्तविक उपलब्धि की जानकारी अभी प्राप्त की जानी है।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

25.31 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में उसी तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार में है, अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लए 7.5 प्रतिशत। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, दिल्ली सरकार ने सेवाओं में 1.1.98 और 1.1.99 को अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की जानकारी नहीं भेजी है।

25.32 जैसाकि आयोग की चौथी रिपोर्ट के दिल्ली संबंधी अध्याय में कहा गया था, दिल्ली सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता से बहुत कम है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से बहुत ही कम है। यह 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता की तुलना में केवल 2-3 प्रतिशत पाया गया है।

25.33 आयोग अपनी पहले की सिफारिश को फिर से दोहराता है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है इसलिए उसे अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति के मामले में एक उदाहरण कायम करना चाहिए और यदि जरूरी हो तो सेवाओं के विभिन्न समूहों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का पर्याप्त संख्या में चयन करने के लिए अधिकारियों के एक दल को देश के उन राज्यों में भेजा जाना चाहिए जहां अनुसूचित जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है।

अत्याचार

25.34 अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध और अत्याचारों के बारे में दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1997 और 1998 के पंचांग वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत क्रमशः 13 और 7 मामलों की रिपोर्ट की गई थी। लेकिन, इसी अवधि में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ किए गए अपराधों और अत्याचारों के बहुत अधिक मामलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ये सभी मामले दिल्ली पुलिस के पास तफतीश और रिपोर्ट के लिए भेज दिए गए

हैं, जैसाकि आयोग की चौथी रिपोर्ट में भी बताया गया था। आयोग के पास भेजे गए मामलों की संख्या से संकेत मिलता है कि या तो पुलिस द्वारा मामले दर्ज नहीं किए जाते अथवा अनुसूचित जातियों के उत्पीड़ित व्यक्ति पुलिस थानों में जाने में घबराते हैं और मामले की रिपोर्ट आयोग को देना बेहतर समझते हैं। यह बात फिर से कही जाती है कि गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि दिल्ली में प्रत्येक पुलिस थाना अत्याचार के उस प्रत्येक मामले को दर्ज करे, जिसकी रिपोर्ट उसे दी जाए।

25.35 जहां तक पी.सी.आर. अधिनियम और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का संबंध है, दिल्ली सरकार ने (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीशों के दो न्यायालयों को, और (ii) पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 14 न्यायालयों (मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के एक न्यायालय, मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के एक अपीलीय न्यायालय और मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेटों के बारह न्यायालयों) को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

25.36 आयोग को दी गई सूचना के अनुसार 1998 में इन न्यायालयों के पास पी.ओ.ए. अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित पड़े मामलों की कुल संख्या 16 थी और वर्ष के अंत तक इनमें से किसी भी मामले का फैसला नहीं किया गया है। इसी प्रकार, पी.सी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालयों में 26 मामले लम्बित थे और वर्ष के दौरान इनमें से किसी मामले का फैसला नहीं किया गया। स्पष्ट है कि इन मामलों के बारे में कार्रवाई करने की गति बड़ी धीमी है। आयोग अपनी इस पहले की सिफारिश को फिर से दोहराना चाहेगा कि पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों का फैसला शीघ्र करने के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा इन मामलों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि देरी होने पर गवाहों की दिलचस्पी समाप्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मामलों में हार हो जाती है और अभियुक्त बरी हो जाते हैं।